

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 2989 / 2024

दिनांक 06.09.2024

सुश्री शाइस्ता लोधी (RJ01073), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अटरू (बारां) को निम्नलिखित अवकाश स्वीकृत किये जाते हैं:-

1. दिनांक 19.07.2024 से 06.08.2024 तक 19 दिनों का परावर्तित अवकाश।
2. दिनांक 07.08.2024 का एक दिवस का उपाजित अवकाश।

सुश्री लोधी की अनुपस्थिति में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, अटरू (बारां) ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अटरू (बारां) के पद पर ही की गई।

आज्ञा से
06/09/24
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:-स्था.बी.2(4)/61/2016/ 6996

दिनांक 06.09.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बारां को उनके पत्रांक 1615/2315 दिनांक 12.08.2024 के सन्दर्भ में।
3. सुश्री शाइस्ता लोधी (RJ01073), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अटरू (बारां)।
4. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अटरू (बारां)।
5. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, अटरू (बारां)।

06/09/2024
सहायक रजिस्ट्रार